## **FIRESAFETYCERTIFICATE**

No.	Dated:
of the building or  Kailadevi Dist. Karauli (Rajasthan) (a basement(s) and First Floor (upper floors)  Secondary School, Kailadevi (name of t and fire safety requirements in accordant verified by the officers concerned of Fire presence of Mrs. Purba Mukharji Principa his representative) and that the building/pre	landir Senior Secondary School, Kailadevi (name premises) at Bargama Road, ddress) comprised of
1.————————————————————————————————————	
Issued on 05 June 2025 (date of issue) at (place) by	
*Strike out which ever is not applicable.	Signature with Seal: Acepak  Name Suepak Chambar  Designation Executive office
	Name Deepak Chauhar
	Designation Executive office
	Name & Address of Department/Office अधिकारी
То	
(Name & Address of the Institution)	
EN	DORSEMENT
The No Objection Certificate issued by Fire	e Service stand cancelled an annulled due to
(reasons to be recorded).	

\*The filled up certificate should be either in Hindi or English.If it is issued invernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

(Name and designation of the authorized signatory)

## नगर पालिका, सपोटरा

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम २००९ की धारा के अन्तर्गत)

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.ः

LSG/SAPOTRA/FIRENOC/2025-26/51510

जारी दिनांकः

06-JUN-2025

वैधता दिनांकः

05-JUN-2027

पेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः

SHREE KAILADEVI MANDIR SENIOR SECONDARY

SCHOOL KAILADEVI

आवेदक का पताः

BARGAMA ROAD KAILADEVI DIST. KARAULI

RAJASTHAN

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन SHREE KAILADEVI SENIOR SCONDARY SCHOOL, 1, BARGAMA ROAD KAILADEVI, KAILADEVI, KARAULI, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तो पर पाबंद करते हुए यह अस्थाई (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

## शर्ते:--

- 1. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
- 2. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- 3. रोप, लैंडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- अग्निशमन उपकरण समयाविध में रिफिल कराना होगा।
- फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- 7. अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अविध हेतु ही मान्य होगा, एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
- भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड को वर्ष में कम से कम 2 बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाना आवश्यक होगा।
- भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 10. यह अनापित्त प्रमाण-पत्र रूफ टॉप रेस्टोरेन्ट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनाित्त प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रूफ टॉप रेस्टोरेन्ट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- 11. यदि राज्य सरकार या निकाय द्वारा भविष्य में कोई नियम व उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधन को मान्य होगा।
- 12. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जावेगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घंटे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
- 14. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए.एम.सी. करवाई जाकर सिस्टम का रखरखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।

Signed by: Deepak Chauhan Issuing Authority: DC/EO/Commissioner Location: SAPOTRA, Rajasthan Date: 06/06/2025 3:11:53

अग्निशमन अधिकारी नगर पालिका, सपोटरा